(2024) 9 एस.सी.आर. 229: 2024 आईएनएससी 691

चौदप्पा एवं एक अन्य

बनाम

चौदप्पा पहले मृतक तथा विधिक प्रतिनिधिगण तथा अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं0 3056 वर्ष 2023)

03 सितम्बर 2024

(पंकज मित्तल तथा आर. महादेवन, न्यायमूर्तिगण)

विचारणीय मुद्दा

2014 में, धारा 141 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन या आदेश 20 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन होने के लिए तात्पर्यित आवेदन प्रत्यर्थीगण द्वारा अन्तःकालीन लाभों के अवधारण हेतु दाखिल किया गया था जैसा निर्णय, आदेश तथा डिक्री दिनांक 12-07-1973 द्वारा निर्दिष्ट है। क्या इस प्रकार का आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है।

शीर्ष टिप्पणियाँ

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 20, नियम 12 तथा धारा 141- कब्जा के पुनः प्राप्ति हेतु तथा नामांतरण प्रविष्टियों के सुधार हेतु वाद प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्ष 1963 में दाखिल किया गया था तथा इसकी डिक्री 12-07-1973 को की गई थी- उक्त निर्णय, आदेश का डिक्री विशेष रूप से आदेश 20 नियम 12, सि0प्र0सं0 के अनुसार वाद की तिथि अर्थात 24-09-1963 से अन्तःकालीन लाभों के संबंध में जाँच करने का निदेश देता है- प्रत्यर्थीगण ने निष्पादन हेतु आवेदन किया था तथा वर्ष 2005 में वादग्रस्त भूसम्पत्ति पर काबिज किया गया था- तत्पश्चात, 2014 में अन्तःकालीन लाभों के अवधारण हेतु प्रत्यर्थीगण द्वारा आवेदन दाखिल किया गया था- याचीगण ने यह प्रतिवाद करते हुए आदेश 7, नियम 11(घ) के अधीन आवेदन प्रस्तावित किया था कि इस प्रकार का आवेदन निराशाजनक पूर्वक परिसीमा द्वारा वर्जित था- आदेश 7, नियम 11 (घ) सि0प्र0सं0 के अधीन आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा नामंजूर किया गया था - उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था - औचित्यः

अभिनिर्धारितः प्रथमतः न्यायालय ने निर्णय तथा आदेश दिनांक 12-07-1973 पारित करते समय विशेष रूप से आदेश 20 नियम 12, सि0प्र0सं0 के अनुसार वाद की तिथि अर्थात 24-09-1963 से अन्तःकालीन लाभों के संबंध में जांच करने के लिए कहा था- इस प्रकार की जांच और कुछ नही बल्कि वाद का सातव्य है तथा अंतिम डिक्री के तैयारी के प्रकृति में है तथा इस प्रकार, यह नही कहा जा सकता है कि जाँच पूरा करने के लिए अनुस्मारक के रूप में प्रस्तावित कोई आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है या विलम्ब अथवा अतिविलम्ब के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है- यह सुस्थापित है कि ऐसी स्थिति में जहाँ परिसीमा अधिनियम के विनिर्दिष्ट प्रयोज्यता द्वारा या विवाद को विनियमित करने वाले विशेष कानून द्वारा परिसीमा का उपबंध नही किया जाता है, विचारण न्यायालय को विलम्ब के संभावना की जांच करने के लिए मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के सम्पूर्ण मूल्यांकन की जिम्मेवारी लेनी चाहिए- जब परिसीमा विहित नही होता है, अपने स्वयं द्वारा विधान मण्डल के विवेक की अनुपूर्ति करना तथा परिसीमा का उपबंध करना न्यायालय के लिए अनुचित होगा- आत्यंतिक नियम के रूप में परिसीमा का उपबंध इस प्रकार के मामलों में नही किया जा सकता है तथा यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों

पर निर्भर होता है कि क्या कार्यवाहियों को उचित तरीके से युक्तियुक्त समय में आरंभ किया गया है- वर्तमान मामले में, दोनों अवर न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किये जाने के पश्चात कि कार्यवाहियाँ परिसीमा द्वारा वर्जित नही है तथा यह कि वास्तव में कार्यवाहियाँ नये सिरे से कार्यवाहियों के प्रकृति में नही है, बल्कि अंतिम डिक्री के तैयारी के रूप में पुराने वाद का सातव्य है- उक्त निर्णयों में कोई त्रुटि नही पाई जा सकती है। (पैरा 12, 13, 15, 16, 17)

उद्धृत निर्णय जन्य विधि

कत्तूकांडी एदाथिल कृष्णन तथा एक अन्य बनाम कत्तूकांडी एदाथिल वालसन तथा अन्य **(2022) 7 एससीआर 1120: (2022) 16 एससीसी 71: एआईआर आनलाइन 2022 एससी 2841;** मेसर्स नार्थ ईस्टर्न केमिकलस इण्डस्ट्रीज (प्रा0) लि0 तथा एक अन्य बनाम मेसर्स अशोक पेपर मिल (असम) लि0 तथा एक अन्य (2023) 15 एससीआर 821 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सी. ए.सं0 2669 वर्ष 2013, दिनांक 11-12-2023) - निर्दिष्ट

अधिनियम की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

प्रमुख शब्दों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 20 नियम 12; अन्तःकालीन लाभ; अन्तः कालीन लाभों का अवधारण; परिसीमा; अन्तःकालीन लाभों के संबंध में जांच; पुराने वाद का सातत्य; अंतिम डिक्री की तैयारी; जांच पूरी करने के लिए अनुस्मारक।

मामले की उत्पत्ति

असाधारण अपीलीय अधिकारिता: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं0 3056 वर्ष 2023 सीआरपी सं0 200017 वर्ष 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय कलाबुरागी के निर्णय तथा आदेश दिनांक 22-07-2022 से

अधिवक्तागण

सी नागेश्वर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, विक्रम हेगड़े, चितवन शर्मा, याचीगण के अधिवक्तागण अमित देश पाण्डेय, वरिष्ठ अधिवक्ता, अक्षत श्रीवास्तव, सात्विक माथुर, प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में सि0प्र0सं0) के आदेश 7 नियम 11(घ) के अधीन दाखिल किये गये इसके अभिकथित आवेदन को नामंजूर किये जाने से उद्भूत याचीगण के पुनरीक्षण को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 22 जुलाई 2022 को चुनोती दिया गया है।

कब्जा के पुनः प्राप्ति तथा नामांतरण प्रविष्टियों के सुधार हेतु एक वाद प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्ष 1963 में दाखिल किया गया था तथा 12-07-1973 को इसकी डिक्री की गई थी। उक्त निर्णय, आदेश तथा डिक्री विशेष रूप से आदेश 20 नियम 12, सि0प्र0सं0 के अनुसार वाद की तिथि अर्थात 24-09-1963 से अन्तःकालीन लाभों के संबंध में जांच करने के लिए निर्दिष्ट करता है। प्रथमतः न्यायालय का पूर्वाक्त निर्णय, आदेश तथा डिक्री वर्ष 1980 में याचीगण द्वारा दाखिल अपील के खारिज किये जाने के साथ अंतिमता प्राप्त किया था।

प्रत्यर्थीगण ने निष्पादन हेतु आवेदन किया था जिससे वर्ष 1993 में किसी समय वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया जा सके तथा निष्पादन के सम्पूर्ण कवायद, कब्जा हेतु वारण्ट के प्रकाशन का परिशीलन करने के पश्चात, प्रत्यर्थीगण को वर्ष 2005 में वादग्रस्त भूमि सम्पत्ति पर काबिज कराया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि 2014 में कभी, धारा 141 सि0प्र0सं0 के अधीन या आदेश 20 नियम 12 सि0प्र0सं0 के अधीन किये जाने के लिए तात्पर्यित आवेदन को प्रत्यर्थीगण द्वारा अन्तःकालीन लाभों के अवधारण हेतु दाखिल किया गया था। एक बार इस प्रकार आवेदन दाखिल किया गया था, याचीगण ने यह प्रतिवाद करते हुए आदेश 7 नियम 11(घ) सि0प्र0सं0 के अधीन आवेदन प्रस्तावित किया था कि इस प्रकार का आवेदन निराशाजनक पूर्वक परिसीमा द्वारा वर्जित है तथा इस प्रकार इसे पूर्णतया नामंजूर किया जाना चाहिए।

आदेश 7 नियम 11 (घ) सि0प्र0सं0 के अधीन दाखिल पूर्वोक्त आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा नामंजूर किया गया था तथा इसके पुनरीक्षण का भी उच्च न्यायालय के हाथों यही परिणाम हुआ था। इस प्रकार विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत है।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अन्तः कालीन लाभों के लिए जांच हेतु प्रत्यर्थीगण द्वारा अभिकथित रूप से प्रस्तावित आवेदन दूसरे निष्पादन के प्रकृति में है तथा चूँकि, इसे डिक्री के दशकों बाद दाखिल किया गया है, अंतिमता प्राप्त कर चुका है, यह परिसीमा के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

दूसरी तरफ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि पूर्वोक्त आवेदन दूसरे निष्पादन के प्रकृति में या नये वाद या वादपत्र के रूप में नही है, बल्कि यह अन्तः कालीन लाभां के अवधारण के संबंध में जाने की प्रक्रिया पूरा करने के लिए न्यायालय को मात्र अनुस्मारक है जैसा प्रथमतः न्यायालय के निर्णय तथा आदेश दिनांक 12.07.1973 द्वारा निदेशित किया गया है। उक्त कार्यवाहियाँ वास्तव में आदेश 20 नियम 2 सि0प्र0सं0 के अधीन कार्यवाहियाँ है जिसमें न्यायालय वाद संस्थित किये जाने की तिथि से कब्जा के परिदान तक अन्तःकालीन लाभों के अवधारण के संबंध में जांच करने के लिए बाध्य है।

सर्वसम्मति से, उक्त जाँच को किया तथा पूरा नही किया गया है तथा यह कि विधि कहीं भी इस प्रकार के कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट समय सीमा का उपबंध नही करता है बल्कि न्यायालय स्वयं से यह कवायद आरंभ करने के लिए बाध्य है।

कत्तूकाण्डी एदाथिल कृष्णनन तथा एक अन्य बनाम कत्तूकाण्डी एदाथिल बालसन तथा अन्य (2022) 7 एससीआर 1120: 2022 (16) एससीसी 71: एआईआर आनलाइन 2022 एससी 2841 में, न्यायालय ने विभाजन हेतु वाद में पारित डिक्री के संबंध में प्रारंभिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री के संबंध में मामले पर विचार करते समय विचार व्यक्त किया था कि मूलभूत रूप से प्रारंभिक तथा अंतिम डिक्री क बीच अंतर है तथा यह कि अंतिम डिक्री हेतु कार्यवाहियों को किसी समय आरंभ किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार के कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए परिसीमा नही है। वाद का कोई पक्षकार अंतिम डिक्री के तैयारी हेतु आवेदन प्रस्तावित कर सकता है या न्यायालय इस संबंध में स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर सकता है। वास्तव में, प्रारंभिक डिक्री पारित करने के पश्चात, विचारण न्यायालय अंतिम डिक्री के तैयारी हेतु अग्रसर होने के लिए बाध्य है

तथा अनिश्चित काल के लिए मामले का स्थगन नही करना चाहिए। अंतिम डिक्री के तैयारी हेतु कोई पृथक आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नही होता है।

विभाजन हेतु प्रारंभिक डिक्री के अनुसरण में अंतिम डिक्री के तैयारी के संबंध में पूर्वोक्त सादृश्य को भलीभांति उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहाँ डिक्री को अन्तःकालीन लाभों के अवधारण के संबंध में जांच करने के निदेश के साथ पारित किया जाता है। यह आदेश 20 नियम 12 सि0प्र0सं0 को स्पष्ट रूप से पढ़ने से स्पष्ट है। सुविधा के लिए, आदेश 20 नियम 12 सि0प्र0सं0 को एतस्मिन् नीचे दोहराया जाता है:-

''12 कब्जा और अन्तःकालीन लाभों के लिए डिक्री-

(1) जहाँ वाद स्थावर सम्पत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण करने और भाटक या अन्तः कालीन लाभों के लिए है वहाँ न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो-

(क) सम्पत्ति के कब्जे के लिए हो;

(ख) ऐसे भाटको के लिए हो जो वाद के संस्थित किये जाने के पूर्व की किसी अवधि में सम्पत्ति पर प्रोद्भूत हुए हो या ऐसे भाटक के बारे में जाँच करने का निदेश देती हो;

(ख क) अन्तःकालीन लाभों के लिए हो या ऐसे अन्तःकालीन लाभों के बारे में जांच करने का निदेश देती हो।

(ग) वाद के संस्थित किये जाने से लेकर निम्नलिखित में से, अर्थातः-

(i) डिक्रीदार को कब्जे का परिदान,

(ii) डिक्रीदार को न्यायालय के मार्फत सूचना सहित निर्णीत ऋणी द्वारा कब्जा का त्याग अथवा

(iii) डिक्री की तारीख से तीन वर्षों की समाप्ति, इनमें से जो भी कोई घटना पहले घटित हो या उस तक के भाटक या अन्तः कालीन लाभों के बारे में जांच का निदेश देती है।

(2) जहाँ खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन जांच का निदेश दिया गया है वहाँ भाटक या अन्तःकालीन लाभों के संबंध में अंतिम डिक्री ऐसी जाँच के परिणाम के अनुसार पारित की जायेगी।

पूर्वोक्त प्रावधान के इसी आलोक में प्रथमतः न्यायालय ने निर्णय तथा आदेश दिनांक 12.07.1973 पारित करते हुए विशेष रूप से निम्नवत् कहा थाः-

''आदेश 20 नियम 12(क) सि0प्र0सं0 के अधीन वाद की तिथि अर्थात 24-9-1963 से उक्त वादग्रस्त भूमि के भावी अंतःकालीन लाभों के संबंध में जांच की जाय।''

अब, इस प्रकार की जांच और कुछ नही वाद का सातत्य है तथा अंतिम डिक्री के तैयारी के प्रकृति में है तथा इस प्रकार, यह नही कहा जा सकता है कि जाँच पूरा करने के लिए अनुस्मारक के रूप में प्रस्तावित कोई आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है या विलंब अथवा अतिविलंब के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रतिवाद करने के लिए 11 दिसम्बर 2023 को सिविल अपील सं0 2669 वर्ष 2013 में पारित मेसर्स नार्थ ईस्टर्न केमिकल्स इण्डस्ट्रीज (प्रा0) लि0 तथा एक अन्य बनाम मेसर्स अशोक पेपर मिल (असम) लि0 तथा एक अन्य में इस न्यायालय के

हालिया निर्णय पर भरोसा रखा है कि जहाँ परिसीमा का उपबंध नही किया जाता है, युक्तियुक्त समय में कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए न कि दशकों वाद।

पूर्वोक्त भरोसा किये गये निर्णय में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी स्थिति में जहाँ परिसीमा अधिनियम के विनिर्दिष्ट प्रयोग्यता द्वारा या विवाद को विनियमित करने वाले विशेष कानून द्वारा परिसीमा का उपबंध नही किया जाता है, विचारण न्यायालय को विलम्ब की संभावना की जांच करने के लिए मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के सम्पूर्ण मूल्यांकन की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जहाँ परिसीमा विहित नही होती है, स्वयं द्वारा विधानमण्डल के विवेक की अनुपूर्ति करना तथा परिसीमा का उपबंध करना न्यायालय के लिए अनुचित होगा।

पूर्वोक्त निर्णय के दृष्टिगत भी, इस प्रकार के मामलों में आत्यंतिक नियम के रूप में परिसीमा का उपबंध नही किया जा सकता है तथा यह प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि क्या कार्यवाहियों को उचित तरीके से युक्तियुक्त समय में आरंभ किया गया है।

दोनों अवर न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किये जाने के बाद कि कार्यवाहियाँ परिसीमा द्वारा वर्जित नही है तथा यह कि वास्तव में कार्यवाहियाँ नये सिरे से कार्यवाहियों के प्रकृति में नही है, बल्कि अंतिम डिक्री के तैयारी के रूप में पुराने वाद का सातत्य है, हम उक्त निर्णयों में कोई त्रुटि नही पा सकते हैं। हम मामले में कोई अनुग्रह देने के लिए प्रवृत्त नही है। तदनुसार वर्तमान याचिका को खारिज किया जाता है।

जाँच तक अन्तःकालीन लाभों के अवधारण का संबंध है याचीगण को विचारण न्यायालय के समक्ष जाँच में भाग लेने के लिए स्वतंत्र किया जाता है।

लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई है, को निपटाया जायेगा।

मामले का परिणाम: याचिका खारिज

अंकित ज्ञान द्वारा शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गई ।

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)